भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2179
सोमवार, 8 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक)

रोजगार खोजने वाले और सृजित रोजगार

2179. श्री पी.आर. नटराजनः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विशेषरूप से मुख्य क्षेत्रों में रोजगार खोजने वाले और सृजित रोजगार के बीच असमानता की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहें; और

(ग) सरकार द्वारा मुख्य क्षेत्रों, विशेषरूप से विद्युत अवसंरचना से अंतर को पाटने के लिए क्या कार्रवाई की गई?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क से ग): रोजगार एवं बेरोजगारी पर वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं। पीएलएफएस, 2018-19 के अनुसार, देश में 15 वर्ष एवं उससे अधिक के व्यक्तियों का सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात एवं बेरोजगारी की दर 47.3% एवं 5.8% थी।

सरकार ने हाल ही में विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु रोजगार अवसर सृजित करने, एमएसएमई क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संवर्धन के लिए आत्मनिर्भर वित्तीय पैकेज के अंग के रूप में 27 लाख करोड़ रुपए से अधिक के राजकोषीय प्रोत्साहन की घोषणा की है। इसमें इन क्षेत्रों हेतु ढांचागत सुधारों के अंग के रूप में की गई अनेक पहलें शामिल हैं जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कृषि क्षेत्र के अ-विनियमन; एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन; नई पीएसयू नीति; कोयला खनन का व्यापारीकरण; रक्षा एवं अंतरिक्ष क्षेत्र में उच्च एफडीआई सीमा; औद्योगिक भूमि बैंक का विकास; सामाजिक अवसंरचना हेतु व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण योजना का पुननिर्माण; नई विद्युत टैरिफ नीति तथा; क्षेत्रक सुधार करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करना है।

*****